

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1704
उत्तर देने की तारीख 05.12.2024

क्यर उत्पाद

1704. श्री कीर्ति आज्ञादः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान क्यर उत्पादों की घरेलू बाजार क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई गई योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या प्राकृतिक रेशों के साथ क्यर रेशों के मिश्रण के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल क्यर उत्पादों के लिए बाजार उपयोग करने हेतु कोई योजना शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या घरेलू स्तर पर क्यर उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए क्यर श्रमिकों और उद्यमियों को कोई सहायता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ग): जी हां। क्यर विकास योजना (सीवीवाई) का घरेलू बाजार संवर्धन (डीएमपी) घटक प्रदर्शनियों के आयोजन, शोरूम और बिक्री केन्द्रों के माध्यम से क्यर उत्पादों की बिक्री, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार करके क्यर और क्यर उत्पादों को लोकप्रिय बनाकर घरेलू बाजार संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा, सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) आदि को आगे सहायता के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) घटक के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान डीएमपी के अंतर्गत किए गए विभिन्न क्रियाकलापों का व्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ख): क्यर विकास योजना का घरेलू बाजार संवर्धन घटक क्यर और पर्यावरण अनुकूल क्यर उत्पादों जैसे कि मैट, कालीन, रस्सियां और प्राकृतिक रेशों के साथ मिश्रित अन्य वस्तुओं के लिए बाजार को संवर्धित और विकसित करता है।

अनुबंध-।

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1704 के भाग (क) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान क्या बाजार संवर्धन घटक के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों का व्यौरा।

(लाख रु में)

वर्ष	भाग ली गई प्रदर्शनियों की संख्या	शोरूम के माध्यम से बिक्री	बाजार विकास सहायता (एमडीए) के रूप में जारी की गई निधि	प्रचार क्रियाकलापों के लिए उपयोग की गई निधि
2021-22	74	1648.35	959.61	245.55
2022-23	97	1939.18	688.05	200.21
2023-24	94	1987.92	386.20	416.87